अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्य कीस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३ |
|---|---|---|

**न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा**

**ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 21/2013**

दया देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य – रेस्पोण्डेन्ट्स

**–: आदेश :–**

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय, सहरसा के वाद संख्या 115/13–14 में दिनांक 22.07.13 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय उपनिदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा में अपीलवाद दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है ।

संक्षेप में मामला यह है कि श्री राजय नन्द वार्डियार, सहायक निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2013 को 11.05 बजे पूर्वाहन में बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा अन्तर्गत सोनवर्षा पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र गोशाला रोड, केन्द्र संख्या –07 की जॉच की गई । जॉच के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटियॉ पायी गयी :–

केन्द्र पर कुल 09 पंजीकृत बच्चे उपस्थित थे । सिर्फ नाम का यह ऑगनबाड़ी केन्द्र चल रहा है । खाने, स्वास्थ्य , खेलकूद संबंधी सभी व्यवस्थाएँ पूर्णतः ध्वस्त पाई गई ।

जॉच दल द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका पर तुरंत अनुशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई ।

उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता /त्रुटियों के संबंध में अपीलार्थी आरोपी ऑगनबाड़ी सहायिका श्रीमती दया देवी को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 996–1 दिनांक 04.06.13 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि 19.06.13 को निम्न न्यायालय, सहरसा में उपस्थित होने का नोटिश दिया

गया ।

दिनांक 19.06.13 को निम्न न्यायालय, सहरसा में सुनवाई की गई। सुनवाई के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एवं ऑगनबाड़ी सहायिका श्रीमती दया देवी उपस्थित हुई । ऑगनबाड़ी सहायिका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई । निम्न न्यायालय, सहरसा में अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद के सुनवाई के कम में अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि निरीक्षण के समय केन्द्र पर कुल 35 बच्चे उपस्थित थे जिनमें केवल 09 बच्चे पोशाक में थे । निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा पोशाक में उपस्थित 09 बच्चे को मात्र केन्द्र में उपस्थिति संख्या बतायी गयी है । केन्द्र प्रभारी सेविका के मार्गदर्शन के तहत केन्द्र स्कूल के बरामदे पर संचालित की जाती थी । केन्द्र पर पोषाहार बानाने की जगह नहीं रहने के कारण अध्यक्ष के घर पर पोषाहार बनायी जाती थी ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध उनके कार्य के संबंध में लाभुकों द्वारा कभी भी किसी भी स्तर पर शिकायत नहीं की गई है । ऑगनबाड़ी सहायिका आई.सी.डी.एस. मार्गदर्शिका के अनुसार तथा सेविका द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पोषाहार ससमय तैयार करती थी । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्र में खाना, स्वास्थ्य, खेलकूद सभी पूर्णतः ध्वस्त होने का आरोप सेविका पर लगाया गया है । चूँकि केन्द्र स्थापन एवं व्यवस्थापन का कार्य सेविका का है । अतएव स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में लगाए गए आरोप गलत हैं, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका को मात्र चेतावनी देकर आरोपों से मुक्त कर दिया गया हैं तथा निर्दोष अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति आदेश पारित की गई है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है । अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थी को पुनः सेवा बहाल करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाय ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता अपीलवाद के सुनवाई के बहस के कम में कथन करते हैं कि राज्यस्तरीय जॉच टीम द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच के कम में केन्द्र पर मात्र 09 पंजीकृत बच्चे पाये गए । केन्द्र की सभी गतिविधि यथा खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद आदि की व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त पायी गयी । केन्द्र नाम मात्र का संचालन किया जा रहा था । ऑगनबाड़ी सेविका पल्स पोलियो कार्यकम में कार्यरत थी । सेविका द्वारा सहायिका को केन्द्र संचालन की सम्पूर्ण प्रभार दी गई थी । ऐसी स्थिति में केन्द्र संचालन का सम्पूर्ण जबावदेही ऑगनबाड़ी सहायिका की होती है । विद्वान सरकारी अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि केन्द्र पर मात्र 09 पंजीकृत बच्चे उपस्थित थे, परन्तु सहायिका द्वारा 35 बच्चे उपस्थित होना बताकर वरीय पदाधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। अभिलेख में रक्षित उक्त केन्द्र के निरीक्षण पंजी की छाया प्रति में सहायिका का कार्य असंतोषप्रद रहना अंकित है । अतएव स्पष्ट है कि सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन करने में लापरवाही बरती गई है। वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना । अभिलेख में रक्षित सभी कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया । सभी पक्षों को सुनकर कर एवं अभिलेखीय कागजात के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि विभागीय नियमावली में सेविका के अनुपस्थिति में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन की सम्पूर्ण जबावदेही सहायिका की होती है परन्तु अपीलार्थी सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन में लापरवाही बरती गई है । विभागीय मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 10.7 के आलोक में निम्न न्यायाल, सहरसा द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है । अस्तु प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है । इसी के साथ अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है

लेखापित एवं संशोधित ,

23/5/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

23/5/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।